

प्रेषक,  
सचिव,  
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,  
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,  
समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0

.....  
.....।

पत्र संख्या : 2401-2417 / भ0नि0बो0-(185)-12 दिनांक:-22.08.2012

विशय : उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना" एवं "निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना" में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत ही है कि "उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" की अधिसूचना संख्या :-7569-7727/भवन निर्माण(185)/2011, दिनांक 22.09.2011 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना" एवं "निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना" अधिसूचित की गयी थी।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना" एवं "निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना" की रूपरेखा के अनुसार उक्त योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण श्रमिकों को परिवार रजिस्टर/कुटुम्ब रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी थी। इस प्रकार के अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में रखे जाते हैं अतएवं शहरी क्षेत्र के पात्र निर्माण श्रमिकों हेतु उपरोक्त अभिलेख के स्थान पर राशनकार्ड या उसके समतुल्य अन्य कोई अभिलेख जिससे निर्माण श्रमिक के परिवार का विवरण हो, की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।

तदनुसार उक्त योजनाओं में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ हरशरण दास)

सचिव, बोर्ड/श्रम आयुक्त, उ0प्र0,  
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

**:: अधिसूचना ::**

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद योजना" एवं "निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना" की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश भासिन द्वारा उसके आदेश संख्या-857/36-2-11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में एतद्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ "निर्माण कामगार बालिका आर्शीवाद अनुदान योजना" अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीताराम मीना)  
सचिव।

**कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 कानपुर।**

पत्रांक -7596-7727 / भ0नि0बो0(185)/2011, दिनांक- 22.09.2011  
**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
  2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
  4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
  5. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
  6. गार्ड फाइल हेतु।
  7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-857/36-2-11, दिनांक 19.09.2011 के क्रम में सूचनार्थ।
- संलग्न : यथोक्त।**

(पंकज कुमार)  
अपर सचिव, बोर्ड।